लायसेंस क्र0 2016–17

प्रारूप –डी0एस0–3

प्रमाणिक उद्योगों, वैज्ञानिक और मंद करने के प्रयोजन के लिये विप्रकृत स्पिरिट के कब्जा के लिये अनुज्ञप्ति

विप्रकृत स्पिरिट नियमों के नियम–6 के अन्तर्गत और **[100/-]** रूपये फीस संदाय के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति एतद् अभिस्वीकृत की जाती है, **मेंसर्स अमलतास इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल सांइस ग्राम बांगर जिला देवास** जिले के **ग्राम बांगर** शहर में **उज्जैन** सड़क में स्थित तुम्हारे कारखाने/प्रयोगशाला/भंडार गृह में **400 बल्क लीटर** विप्रकृत स्पिरिट रखने के लिये और औद्योगिक वैज्ञानिक और मंद करने के सदभावपूर्वक प्रयोजन के लिए **2016–17** के **31 मार्च–2017** को अन्त होने वाले वर्ष की अवधि निम्नलिखित शर्तो के अधीन एतद्द्वारा **मेसर्स अमलतास इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल सांइस ग्राम बांगर जिला देवास** को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है–

–: शर्ते :–

1. यह अनुज्ञप्ति केवल ऐसी स्पिरिट का कब्जा रखने तथा उपयोग करने के लिए दी गई है, जो कि आबकारी आयुक्त के अनुदेशों के अनुसार विप्रकृत की गई हो।

2. विप्रकृत स्पिरिट केवल उस स्थान पर रखी जाएगी जो इस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है और बेची नहीं जाएगी और न उन प्रयोजनों के जिनके लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी और न कलेक्टर की बिना अनुज्ञप्ति के किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित की जाएगी।

3. परिसर जिनमें विप्रकृत स्पिरिट उपयोग में लाई जाती है या भंडार की जाती है किसी भी अधिकारी द्वारा जो कि आबकारी विभाग कि उपनिरीक्षक के पद से कम स्तर का न हो के संबंध में ऐसी जानकारी जैसे कि वह अपेक्षा करे, दी जाएगी।

4. प्रत्येक बोतल, बर्तन, और पीपा जिनमें प्राप्त विप्रकृत स्पिरिट समावित है उनमें "भारत में बना और विप्रकृत" शब्दों से युक्त स्पष्ट लेबल चिपका रहेगा।

5. ऐसी बोतलों, बर्तन, ड्रमों और पीपों पर खोपड़ी तथा कट–मट हड्डी तथा हिन्दी भाषा में "इसका पीना खतरनाक है" चेतावनी समाविष्ट करते हुए लाल स्याही से छपा हुआ बोतल पर चिपका रहेगा। लेबल का नमूना और स्टाइल निम्न प्रकार होगी–

धारिता .... शक्ति ....

विप्रकृत स्पिरिट ☠ जहरीली स्पिरिट खबरदार

इसका पीना खतरनाक है

6. निम्नलिखित प्रारूप में इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत दैनिक सौदे का सही हिसाब रखा जाएगा। ऐसा हिसाब स्पिरिट के भंडार के साथ, परिसरों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर तुरन्त पेश किया जाएगा।

दिनांक	प्रारंभिक रोकड़	प्राप्त मात्रा	पूर्ति का स्त्रोत	हाजिर कुल मात्रा	प्रत्येक सौदे में उपयोग की गई मात्रा	बचत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	लीटर एम. एल.	लीटर एम. एल.		लीटर एम. एल.	लीटर एम. एल.	लीटर एम. एल.	

दिनांक	प्रारंभिक रोकड़		प्राप्त मात्रा		पूर्ति का स्त्रोत	हाजिर कुल मात्रा		प्रत्येक सौदे में उपयोग की गई मात्रा		खरीददार का नाम	खरीददार का पता	टिप्पणी
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
	बोतल	लीटर	बोतल	लीटर		बोतल	लीटर	बोतल	लीटर			

7. अनुज्ञप्तिधारी, विप्रकृत स्पिरिट नियमों और सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों क्रमांक 1, 3, 6, 21, 22, 23 और 25 से बद्ध हैं।

8. इस अनुज्ञप्ति की किन्ही शर्तों या मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 पर यह अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा रदद् की जा सकती है।

अनुज्ञप्ति के संबंध में विशेष रूप से स्वीकृत विप्रकृत करने का विवरण।

दि..क 04-11-20.2016

21.11.16
जिला ... कलेक्टर ...कारी,
जिला देवास (म0प्र0)

//अनुसूची//

स्थल के स्थान (मौका) का वर्णन	स्थल की सीमाएँ			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
01	02	03	04	05